



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258149
CG-DL-E-22102024-258149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4249]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946

No. 4249]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4623(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडसइंड बैंक लिमिटेड की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान (कोर बैंकिंग सोल्यूशन), वास्तविक समय समग्र निपटान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी निधि अंतरण (नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), तुरंत भुगतान सेवा स्विच (इमीडिएट पेमेंट सर्विस स्विच), एकीकृत भुगतान इंटरफेस स्विच (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्विच), स्वचालित टेलर मशीन स्विच (ऑटोमेटिड टेलर मशीन स्विच) और सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम्स से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं उनसे सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत इंडसइंड बैंक लिमिटेड का कोई अभिहित कर्मचारी;

- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और
- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पण्धारी।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल-भाग(2)]
दीपक गोयल, वैज्ञानिक जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2024

S.O. 4623(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution (CBS), Real Time Gross Settlement (RTGS), National Electronic Fund Transfer (NEFT), Immediate Payment Service Switch (IMPS), Unified Payments Interface (UPI) Switch, Automated Teller Machine (ATM) Switch and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Systems (SWIFT), being Critical Information Infrastructure of the IndusInd Bank Ltd., and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following persons to access the protected systems, namely:—

- (a) any designated employee of the IndusInd Bank Ltd. authorised in writing by the IndusInd Bank Ltd. to access the protected system;
 - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the IndusInd Bank Ltd. for need-based access; and
 - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the IndusInd Bank Ltd. on case-to-case basis.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL-Part(2)]
DEEPAK GOEL, Scientist G